संख्या-16/2015/598**सी**0**डी**0/46-3-15-1000(74)/2013-**टी.सी.**

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
अमरोहा।

चीनी उद्योग अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक **25** मार्च, **2015**

विषयः-वित्तीय वर्ष **2014-15** में अनुदान संख्या-**83** निर्मित अन्तर्ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-**8/2015/2795**सी**0**डी**0/46-3-14-1000(74)/2013-**टी**0**सी**0-1,** दिनांक **05** फरवरी, **2015** एवं गन्ना आयुक्त, उ**0**प्र**0** के पत्र संख्या- **1342/**अ**0**ग्रा**0,** दिनांक **19.03.2015** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त संदर्भित संख्या-**8/2015/2795**सी**0**डी**0/46-3-14-1000(74)/2013-**टी**0**सी**0-1,** दिनांक **05** फरवरी, **2015** द्वारा स्वीकृत जनपद अमरोहा की, इस पत्र के संलग्नक के कालम-**2** में अंकित सम्पर्क मार्ग की कालम-**3** में अंकित लम्बाई को, निविदा दर **17.89** प्रतिशत् कम होने से हो रही बचत के कारण, कालम-**8** के अनुसार भौतिक लक्ष्य में संशोधन करने एवं तदनुसार लम्बाई बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या-**2795**सी**0**डी**0/46-3-14-1000(74)/2013-**टी**0**सी**0-1,** दिनांक **05** फरवरी, **2015** में उल्लिखित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या **2795**सी**0**डी**0/46-3-14-1000(74)/2013-**टी**0**सी**0-1,** दिनांक **05** फरवरी, **2015** को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-16/2015/598**सी**0**डी**0/46-3-15-1000(74)/2013-**टी.सी.तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0,** इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0,** इलाहाबाद।

क्रमशः-**.....2**

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0,छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ।

8- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।

9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

14- बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-**16/2015/598** सी0डी0**/46-3-15-1000(74)/2013,** दिनांक **25** मार्च**, 2015** का संलग्नक

जिला योजना वर्ष **2014-15** में अनुदान संख्या-**83** के अन्तर्गत निर्मित अन्तर्ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त बचत के सापेक्ष संशोधित कार्ययोजना **(**जनपद अमरोहा के लिये**)**

जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दिनांक **05** फरवरी**, 2015** के अनुसार स्वीकृत कार्ययोजना					स्वीकृत की जा रही संशोधित कार्ययोजना				
		लम्बाई (कि**0**मी**0)**	स्वीकृत लागत (ला**0**रू**0)**	राज्यांश (ला**0**रू**0)**	सेन्टेज की धनराशि (ला**0**रू**0)**	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला**0**रू**0)**	लम्बाई (कि**0**मी**0)**	स्वीकृत लागत (ला**0**रू**0)**	राज्यांश (ला**0**रू**0)**	सेन्टेज की धनराशि (ला**0**रू**0)**	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला**0**रू**0)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
अमरोहा	एन.एच. **24** से रहमापुर खालसा प्र**0** भाग	**3.00**	**75.183**	**58.49**	**6.50**	**51.99**	**3.40**	**75.183**	**58.49**	**6.50**	**51.99**

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।